न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

प्रकरण संख्या 77/2021 तारीख प्रवेश : 29.01.2021 तारीख निर्णयः 23.03.2021

राजस्थान सरकार जंरिये पटवारी हल्का फिरोजपुर तहसील राजगढ जिला अलवर

....प्रार्थी

बनाम

1.श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी होदायली ,तहसील राजगढ जिला अलवर

..............अप्रार्थी

निर्णय

निर्णय दिनांक 23.03.2021

आज यह प्रकरण वास्ते निर्णय पेश हुआ । प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का फिरोजपुर तहसील राजगढ जिला अलवर के द्वारा सम्वत् 2077 मे रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मूर्ति मन्दिर श्री नृसिंह जी महाराज विराजमान वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.19 हैक्ट बारानी प्रथम वाके ग्राम होदयली पर श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का फिरोजपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 मे आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.19 हैक्ट मे से 0.19 हैक्टेयर भूमि पर सरसों काश्तफसल है जिस पर श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण होना बताया गया ।

प्रकरण के सम्बंध मे राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज –6 /2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 तथा परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2007 /पार्ट जयपुर दिनांक 20.08.2020 मे दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार पटवारी हल्का फिरोजपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दर्ज होना पाया जाने पर प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर नोटिस जारी किया गया । जिसकी विधिवत् तामील होकर प्राप्त हुई। श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब नोटिस पेश नही किया गया। सुनवाई एवं अन्य साक्ष्य /सबूत पेश करने हेतु समय दिया गया। उसके द्वारा जवाब

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

1978 की बिना प्रमाणित छाया प्रति पेश की गई के सबूत दस्तावेज पेश नही किया गया।

...ण पत्रावली का गहनता से मनन कर अवलोकन किया ... जारी परिपत्रों का भी ध्यानपूर्वक मनन कर अवलोकन ... सुना गया । धारा 91 की कार्यवाही निरस्त करने का ... की मंशा निम्न प्रकार से पाई गई है कि राजस्थान ... परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर ... बिन्दु संख्या –5 मे राज्य सरकार द्वारा " मंदिर भूमि पर ... या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार ... इस प्रकार करेंगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी ... मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होगे। जिला ... सम्बंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की ... नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व ... त उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण ... गये है।

...री हल्का के अनुसार मंदिर मूर्ति श्री नृसिंह जी महाराज ... खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.19 हैक्ट. ... मूर्ति श्री नृसिंह जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज ... प्रार्थी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत ... ल राजगढ जिला अलवर द्वारा सरसो की काश्तफसल ... या गया है और अप्रार्थी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखपाल ... होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा वक्त सुनवाई ... किया जाना स्वीकार किया गया । मंदिर मूर्ति नृसिंह जी ... यली की भूमि पर सरसों की काश्तफसल करने के कथन ... पुष्टि होती है।

...भूमि राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी के अनुसार मंदिरमूर्ति ... के ग्राम होदायली की खातेदारी की आराजी है, जिस पर ... पुत्र सुखपाल सिंह राजपूत निवासी होदायली तहसील ... द्वारा सरसों की काश्तफसल कर अतिक्रमण होना पुष्ट ... मूर्ति की भूमि होने से अप्रार्थी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र ... होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर की हैसियत एक ... मंदिर मूर्ति की भूमियों से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम ... के तहत प्राप्त शक्तियो का उपयोग करते हुये ... लक्ष्मणसिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ... ढ जिला अलवर को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत

नायब तहसीलदार

अतः मंदिरमूर्ति श्री नृसिंह जी महाराज वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ जिला अलवर की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.19 हैक्ट अतिक्रमित रकबा 0.19 हैक्टेयर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। सम्बंधित भू0अ0निरीक्षक व पटवारी हल्का फिरोजपुर तहसील राजगढ जिला अलवर को तहरीर जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करे, तथा पटवारी हल्का फिरोजपुर को निर्देश दिये जाते है कि सरसों की काश्तफसल को नीलाम करे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो बादपूर्ति दाखिल लेख भण्डार हों।

आज दिनांक 23.03.2021 को मेरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अंकित कुमार)
नायब तहसीलदार राजगढ(अलवर)

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

त. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 01, फ. नि. 950/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार